

**निबंधन एवं शर्तें**  
**मुख्य सलाहकार - बाल स्वास्थ्य**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपर्युक्त पद को पूर्णतया संविदा आधार पर भरने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

**रिपोर्टिंग अधिकारी: अपर आयुक्त (बाल स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**भूमिका और उत्तरदायित्व:**

- बाल स्वास्थ्य से जुड़े सभी क्रियाकलापों से संबंधित सभी कार्यों के विनियोजन, समीक्षा, कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को तकनीकी-प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करना।
- कार्यक्रम के लिए प्रचालन दिशा-निर्देश, पीपीटी, श्वेत पत्र, नीतिगत नोट्स तैयार करना।
- निर्णय निर्माण हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए तिमाही आधार पर डेटा विश्लेषण, कार्यक्रम और स्थिति की समीक्षा करना।
- समय-समय पर बाल स्वास्थ्य और आरएमएनसीएच+ए से संबंधित सर्वेक्षणों के आंकड़ों का विश्लेषण करना और नीतिगत सूचना हेतु रिपोर्ट और स्थिति का ब्यौरा देने वाले पेपर विकसित करना।
- आरएमएनसीएच+ए स्पेक्ट्रम के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य संबंधी परिदृश्य के लिए तैयारी/डिजाइन में योगदान/सहयोग देना और स्थिति का विश्लेषण करना/अद्यतन करना ताकि नीतिगत मार्गदर्शन और पोषण संबंधी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के विकास, डिजाइन तथा प्रबंधन के लिए समय पर बाल स्वास्थ्य संबंधी व्यापक एवं अद्यतन आंकड़े की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- कार्यक्रम प्रभागों के समन्वय और सूचनाओं को एकत्रित करके बाल स्वास्थ्य में आवंटित राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) हेतु जवाबदेही, सामंजस्य और सहक्रिया हेतु विश्लेषण करना, बजट की घटक-वार समीक्षा करना, मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और राज्यों को संशोधन हेतु अपेक्षित इनपुट्स प्रदान करना और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के लिए अंतिम पीआईपी प्रस्तुत करना।
- तकनीकी दस्तावेजों की समीक्षा करना और बाल स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
- स्वास्थ्य, अर्हता और बाल विकास, पीआईपी, पीएचईडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए अभिसारी योजनाएं तैयार करना, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं की रिपोर्टों और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई का मूल्यांकन करना।
- राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्यों और जिलों का आवधिक दौरे करना, क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों की पहचान करना और उपयुक्त समाधान की रूपरेखा तैयार करने में राज्यों को सहयोग प्रदान करना।

**अर्हता:**

- प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थान से जन स्वास्थ्य/बाल चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस)।
- जन स्वास्थ्य क्षेत्र में 7 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव। परियोजना प्रबंधन में पूर्व अनुभव भी एक अधिभार है। उन अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर एनएचएम/आरसीएच में कार्य किया है।
- बाल स्वास्थ्य और एसडीजी सहित आरएमएनसीएच+ए मुद्दों से संबंधित हाल ही के बाद विवादों और परिप्रेक्ष्यों की बेहतर जानकारी।
- अत्यधिक अपेक्षा वाले वातावरण में कार्य करने, शिक्षा जगत, बहुपक्षीय साझेदारों के साथ संपर्क रखने का कौशल।
- प्रासंगिक आंकड़ों और दस्तावेजों की खोज के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट तथा वेब सर्फिंग जैसे आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले पैकेजों की उच्च स्तरीय जानकारी के साथ कंप्यूटर में दक्षता।
- उत्कृष्ट संप्रेषण और प्रस्तुति कौशल, विश्लेषणात्मक और अंतर्संबंध विषयक क्षमता, अंग्रेजी में उत्कृष्ट एवं लिखित संप्रेषण कौशल। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी वांछनीय है।
- औपचारिक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और आयु में छूट दी जा सकती है, जब उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य हो अथवा जब विशिष्ट प्रासंगिकता का कार्य अनुभव विद्यमान हो।

**आयु सीमा:** आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष और अधिक क्षेत्रीय दौरों को करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए।

**पारिश्रमिक सीमा:** 1,30,000/-रुपए से 1,70,000/- रुपए प्रतिमाह के बीच।

**स्थान:** दिल्ली

**आवेदन करने के लिए:**

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भर्ती हेतु सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र को डाउनलोड कर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को **15-Sep-2020** तक [rch.recruitment@gmail.com](mailto:rch.recruitment@gmail.com) पर केवल ई-मेल कर दें। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पर आवेदन किए गए पद का उल्लेख किया गया है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।